प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं. ...189/23.....दिनांक....14/07/2023
2. (i)अधिनियमः-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 धारा 7A व 120 बी भादस
   (ii) अधिनियम ..... धारायें .....
   (iii) अधिनियम ..... धारायें .....
   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....(अ)
3. रोजनामचा आम रपट संख्या 792..... समय 2.25 P.m.....
   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 23.02.2021 समय 7.00पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .....
4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. घटनास्थल :- मिशन कोंचिग संस्था बेगस रोड बगरू जिला जयपुर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पश्चिम व 31 किलोमीटर
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम-श्री राजू कुमावत
   (ब) पिता/पति का नाम-श्री भवरलाल कुमावत
   (स) जन्म तिथी- उम्र-35 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय -प्राईवेट कार्य
   (ल) पता-मकान नम्बर 14 जमना कॉलोनी,3 दुकान ढेर का बालाजी सीकर रोड जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

(1) श्री मदनसिंह पुत्र श्री बिरदीचंद जाति जाट निवासी मैन आबादी चिमनपुरा जयपुर पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर हाल संचालक मिशन कोंचिग संस्था बेगस रोड बगरू (प्राईवेट व्यक्ति)

(2) श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री शायरमल गुर्जर जाति गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा ईतला देने में विलम्ब का कारण-
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-100000/- रूपये लिप्त सम्पति
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री राजू पुत्र श्री भॅवर लाल कुमावत उम्र 33 साल, निवासी मकान नं. 14 जमना कॉलोनी तीन दुकान ढहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर ने दिनांक 23.03.2021 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू प्रथम जयपुर को सम्बोधित करते हुये एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं प्रार्थी राजू पुत्र भॅवर लाल कुमावत उम्र 33 वर्ष, निवासी 14 जमना कॉलोनी तीन दुकान ढहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर का निवासी हूँ। मेरे पिता जी की राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील पीसांगण जिला अजमेर में खसरा नं. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2483/02, 2484/03 कुल रकबा 64–10–10 बिस्वा जिनके वरकिंग खसरा नं. 3267, 3275, 3267, 3268, 3269, 3270 से 3280, 3277 मिन 3275–64 बिघा में से मेरे पिता जी भॅवर लाल का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त जमीन के विवाद के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर से सुप्रीम कोर्ट तक उक्त जमीन के सम्बन्ध में केस जीत गये। न्यायालय के निर्णय हमारे पक्ष में हुये है। मेरे पिता जी द्वारा नामान्तरण खोलने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालयों निर्णय सहित तहसीलदार पीसांगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2021 को प्रस्तुत किया था तथा हम दिनांक 19.02.2021 एस.डी.एम पीसांगण से मिले तो उन्होंने तहसीलदार रामसिंह को बुलाकर नामांकन खोलने के लिए कहा तो तहसीलदार साहब ने नामान्तरण खोलने के लिए चार पांच दिन के लिए बोला इसके पश्चात मैंने तहसीलदार जी से मिलने के लिए कहा तो पीसांगण तहसील कार्यालय में बुलाया वह मेरे कार्यालय में पहुॅचने पर मुझे बताया कि तुम्हारा नामान्तकरण मैं खोल दूंगा लेकिन उसके लिए खर्चा लगेगा। मैं बुला वहां पर आ जाना व मेरे टेलीफोन नं. ले लिये वह अपने खुद के टेलीफोन नं. दिये दिनांक 20.02.2021 को मैंने शाम के समय उनको फोन किया तो उन्होंने दिनांक 21.02.2021 बगरू मिलने को कहा उक्त दिनांक को हम बगरू पहुॅचे तो मिशन कोचिंग बेगस रोड पर आने को कहा मै उक्त कोचिंग में पहुॅचा तो एक अन्य व्यक्ति मौजूद था तो तहसीलदार जी कहा कि नामान्तरण के लिए खर्चा लगेगा आप मदन सिंह चौधरी से बात कर लो इसके बाद मदन सिंह जी ने कहा कि में साहब से बात कर खर्चा बता दूंगा दिनांक 22.02.2021 को तहसीलदार जी के दलाल मदन सिंह जी के मोबाईल नं. 9887463050 से मेरे मोबाईल नं. 9024754236 पर कॉल कर कहा कि आप पैसे लेकर आ जाओ मेरे द्वारा डन कहते ही पांच दिन में नामान्तकरण खुल जायेगा मेरी तहसीलदार रामसिंह जी से बात हो गई है उन्होंने मुझे 1.50 लाख से 2 लाख रूपये तक का खर्चा रिश्वत बताई है। मेरी तहसीलदार रामसिंह से व मदन सिंह से कोई आपसी रंजिस नहीं और ना ही कोई उधार का लेन देन शेष है रिपोर्ट करता हूॅ कानूनी कार्यवाही करे। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सी.आई श्री नरेन्द्र सिंह नियमानुसार कार्यवाही करे का पृष्ठांकन कर मुझे अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी का आपसी परिचय कराया व प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी को मन पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में लाया व मजिद दरियाफ्त की तो उक्त प्रार्थना पत्र उसने स्वयं हस्तलिखित होना बताया व सही होना स्वीकार किया व बताया कि मेरे पिता जी की राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित 64 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त जमीन के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर से सुप्रीम कोर्ट तक के सभी न्यायालयों में उक्त जमीन के निर्णय पक्ष में निर्णित होना बताया व अपने पिता द्वारा दिनांक 08.02.2021 को नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना तथा दिनांक 19.02.2021 को एस.डी.एम पीसांगन से मिलने पर एस.डी.एम द्वारा तहसीलदार को बुलाकर नामान्तकरण खोलने के निर्देश देने पर तहसील द्वारा परिवादी के नम्बर लिये व दिये जाना व दिनांक 20.02.2021 को फोन कर दिनांक 21.02.2021 को बगरू मिलनें के लिए कहा जाना बताया परिवादी के बगरू पहुॅचे पर मिशन कोचिंग बेगस रोड बगरू पर वार्ता के दौरान तहसीलदार श्री रामसिंह व दलाल श्री मदन सिंह चौधरी से मिलने पर उनके द्वारा खर्चा लगने की बात कही दिनांक 22.02.2021 को तहसीलदार रामसिंह जी के दलाल मदन सिंह जी ने नामान्तकरण खोलने के लिए डेढ से दो लाख रूपये की रिश्वत की मांग की जाना बताया। परिवादी ने तहसीलदार रामसिंह व दलाल मदन सिंह से कोई भी आपसी रंजिस होना नहीं बताया और ना ही उधार का लेन–देन शेष होना नही बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाये जाने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना

आवश्यक होने से दो स्वतंत्र गवाहान् तलब किये गये, श्री मनीष सक्सैना पुत्र स्व. श्री गोविन्द बिहारी सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 36 साल पेशा सरकारी नौकरी निवासी 37/08 किरण पथ मानसरोवर जयपुर हाल चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी नगर निगम ग्रेटर, जयपुर व श्री श्रवण लाल शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 53 साल पेशा सरकारी नौकरी निवासी 29, कानजी विलाश, वैद्यजी का चौराहा, निवारू रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ लिपिक नगर निगम ग्रेटर जयपुर, जो उपस्थित कार्यालय आये उक्त कार्यवाही मे सत्यापन करवाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री राजू को डिजिटल वॉईस रिकार्डर संचालन की विधि समझाई जाकर श्री राजकृष्ण मीणा कानि. 184 के हमरा सूपूर्द कर सत्यापन हेतु समय 02.35 पी.एम. पर रवाना किया गया जिस पर बाद सत्यापन वार्ता परिवादी श्री राजू व श्री राजकृष्ण मीणा कानि. 184 समय 07.00 पी.एम. पर वापिस कार्यालय आया व डिजिटल वॉईस रिकार्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सूपूर्द करते हुये बताया कि मैं व परिवादी श्री राजू के साथ बाहर पहुँचा तो परिवादी को एक व्यक्ति और मिला जिसका नाम पूछा तो असने अपना नाम नरसिंह पुत्र श्री जालमसिंह जाति रावत उम्र 37 वर्ष निवासी रेनपुरा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर व परिवादी का मित्र होना बताया।उक्त दोनो को में मेरी गाडी में लेकर बगरू ओवरब्रिज के नीचे पहुँचे,जहॉ पर परिवादी द्वारा दलाल मदनसिंह से जरिये दूरभाष बातचीत करने पर कुछ ही मिनिट में मदन सिंह एक मोटर साईकिल पर सवार होकर आया व परिवादी व उसके मित्र को बिठाकर रवाना हो गया मै पीछे पीछे चल रहा था कुछ दूरी पर दलाल मदनसिंह एक कॉच के बने ऑफिस मे परिवादी व उसके दौस्त को लेकर गया जहॉ पर आरोपी दलाल मदनसिंह व परिवादी राजू व नरसिंह के मध्य रिश्वत राशि की बातचीत रिकॉर्ड हुयी इसके पश्चात परिवादी व नरसिंह मेरे पास आया व मुझे बन्द रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मदनसिंह ने हमे कॉच के ऑफिस में ले जाकर ऑफिस को अन्दर से बन्द किया व हम दोनों के मोबाईल फोन बन्द करवाये व कहा कि कितने आदमी आये हो दो आये हो तीन आये हो, तहसीलदार रामसिंह के लिये मदनसिंह ने नामान्तकरण खोलने के लिये 1,50,000/– रूपये की मांग की गई तथा उक्त रिश्वत राशि मदनसिंह ने एक साथ ही लेने के लिये कहा है। इसके पश्चात रवाना होकर जयपुर पंहुचे जहां पर परिवादी को काम होने से अपने घर जाना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में हुई सत्यापन वार्ता को सुना तो श्री राजकृष्ण कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। दिनांक 24.02.2021 को परिवादी अपने मित्र नरसिंह के साथ उपस्थित आया व अपना मोबाईल प्रस्तुत करते हुये बताया कि तहसीलदार श्री रामसिंह तहसील पीसांगन से मेरी दिनांक 15.02.2021 एक बार, दिनांक 16.02.2021 को तीन बार, दिनांक 20.02.2021 को एक बार, दिनांक 21.02.2021 को तीन बार वार्ताऐं हुई है व दलाल मदन सिंह व मेरे मोबाईल पर दिनांक 22.02.2021 को तीन बार व दिनांक 23.02.2021 को तीन बार वार्ताऐं हुई है। उक्त वार्ताऐं मेरे मोबाईल में लगी सिम नं. 9079616557, 9024754236 व तहसीलदार श्री रामसिंह के मोबाईल नं. 9782161148 व मदन सिंह के मोबाईल नं. 9887463050 पर वार्ताऐं हुई है। परिवादी का मोबाईल चैक करने पर उक्त वार्ताऐं संरक्षित होना पाई गई। उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रासंकिप्ट पृथक से बनाने हेतु परिवादी के मोबाईल में कार्यालय की डाटा केबिल से कम्प्यूटर से कनेक्ट कर कम्पूयूटर में संरक्षित की गई व दिनांक 24.02.2021 को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.02.2021 परिवादी श्री राजू कुमावत व उसके साथी श्री नरसी व श्री रामसिंह तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर के दलाल श्री मदन सिंह व परिवादी श्री राजू कुमावत व श्री रामसिंह तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर व श्री मदन सिंह दलाल के मध्य मोबाईल पर आपस में हुई संरक्षित वार्ताऐं की फर्द रूपान्तरण मुर्तिब की गई।

दिनांक 08.02.2021 को परिवादी के पिता श्री भॅवरलाल द्वारा अपनी जमीन का जो कि राजस्व ग्राम जसवंतपूरा पटवार हल्का जसवंतपुरा तहसील पिसांगन जिला अजमेर मे 64 बीघा 10 बिस्वा मे से 1/2 का अपने नाम नामांतरकरण का प्रार्थना पत्र तहसील पिसांगन मे प्रस्तुत किया जाना परिवादी द्वारा बताया गया है उक्त नामांतकरण को खुलवाने के लिये परिवादी श्री राजू कुमावत तहसील पिसांगन मे पदस्थापित तहसीलदार श्री रामसिंह से सम्पर्क किया तो दोनो ने आपस मे अपने मोबाईल नम्बर ले लिये जिसका रामसिंह तहसीलदार को मोबाईल नम्बर 9782161148 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9079616557, 9024754236 पर आपस मे वार्ताएं हुई। परिवादीके मोबाईल मे वार्ताओं के दौरान् ऑटो काल रिकार्डर इन्स्टाल था जिस

पर परिवादी श्री राजू कुमावत व तहसीलदार श्री रामसिंह कार्यालय पीसांगन तहसील जिला अजमेर के मध्य परिवादी के मोबाईल नम्बर 9079616557, 9024754236 मे संरक्षित वार्ताएं व तहसीलदार रामसिंह के मोबाईल नम्बर 9782161148 पर दिनांक 15.02.2021, 16.02.2021, 20.02.2021 व 21.02.2021 को हुई कुल 8 वार्ताएं हुई है

रूपान्तरण वार्ताओं से स्पष्ट है कि परिवादी श्री राजू कुमावत की पुश्तेनी जमीन के नामान्तरण का कार्य तहसीलदार पिसांगन के पास पेण्डिग था व परिवादी श्री राजू कुमावत ने तहसीलदार श्री रामसिंह तहसील पीसांगन से सम्पर्क किया तो तहसीलदार ने बगरू स्थित मिशन कोचिंग संस्था पर परिवादी को बुलाया व अपने दलाल मदन सिंह चौधरी से दिनांक 21.02.2021 को मिलाया उसके उपरान्त दिनांक 22.02.2021 व 23.02.2021 को तहसीलदार के दलाल मदन द्वारा दूरभाष पर लगातार रिश्वत राशि मांग की गई व दिनांक 23.02.2021 को मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई तो तहसीलदार के दलाल मदन द्वारा तहसीलदार श्री रामसिंह के लिए डेढ लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई व एक लाख रूपये पहली किश्त के रूप मे रिश्वत राशि की मांग की गई। रूपान्तरण वार्ताओं की स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सम्बंधित वाईस क्लीप से शब्द व शब्द मिलान कर वार्ता रूपान्तरण की सी.डी बनवाने हेतु तीन खाली सीडियों को खाली होना सुनिश्चत कर बारी–बारी से कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्ड वार्ता की तीन सी.डी तैयार की जाकर सही होना सुनिश्चित कर दो सीडियों पर मार्का ए, ए–1 अंकित किया जाकर दोनों सीडियों को प्लास्टिक के सीडी कॅवर में रखकर कपडे की थैलियों में पृथक–पृथक रखी जाकर सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए खुली रखी गई।

दिनांक 25.02.2021 को परिवादी श्री राजू कुमावत मय श्री नरसिंह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैं मेरे पापा जी पंजाब नेशनल बैंक तीन दुकान ढेहर के बालाजी से एक लाख रूपये की एफ.डी तुडवाकर लाया हूँ व परिवादी को मन पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध आरोपी श्री रामसिंह तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर के दलाल श्री मदन सिंह प्राईवेट व्यक्ति को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 2000–2000/–रूपये के 50 नोट कुल राशि 1,00,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा की निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिसकी फर्द पेशकशी नोट परिवादी श्री राजू व प्रर्दशन फिनोलपथलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मूर्तिब की गई। श्री रामसिंह तहसीलदार जिला अजमेर पीसांगन तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थापित था जिसका सत्यापन परिवादी श्री राजू से व्यक्तिगत या दूरभाष पर करवाने के दिशा निर्देश उच्चाधिकारियों से प्राप्त हुये, इस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि श्री रामसिंह तहसीलदार मेरे से मोबाईल पर पैसों की वार्ता नहीं करेगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर तहसीलदार के पास जाकर सत्यापन करवा दूँगा। जिस पर परिवादी के दाहिनी जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि श्री श्रृवण लाल स्वतन्त्र गवाह से निकलवाई जाकर खाकी रंग के लिफाफे में डलवाकर कार्यालय की मालखाना आलमारी में दुरूस्त रखवाई गई व दिनांक 10.03.2021 को परिवादी श्री राजू मय नरसिंह उपस्थित आया व बताया कि तहसीलदार मेरे से बात नहीं करेगा मेरे एक लाख रूपये मुझे लौटा दो जिस पर स्वतन्त्र गवाहान को तलब कर मुताबिक फर्द परिवादी के पैसे एक लाख रूपये मुताबिक फर्द सुपुर्दगी लौटाये गये व परिवादी ने कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया।

रूपान्तरण वार्ताओं, परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र व मूर्तिबशुदा फर्दात से स्पष्ट है कि परिवादी श्री राजू कुमावत की पुश्तैनी जमीन राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर का नामान्तकरण सम्बन्धी कार्य तहसील पीसांगन जिला अजमेर में पेण्डिंग था व उक्त तहसील में पदस्थापित तहसीलदार श्री रामसिंह ने परिवादी के मोबाईल पर वार्ताऐं कर राजकार्य सम्बन्धी कार्य के लिये मिशन कोचिंग संस्था बेगस रोड बगरू जयपुर पर बुलाया व उक्त कोचिंग संस्था के संचालक श्री मदन सिंह चौधरी से मिलवाया व परिवादी के जायज कार्य के लिये मिशन कोचिंग संस्था बेगस रोड बगरू के संचालक श्री मदन सिंह चौधरी ने परिवादी श्री राजू कुमावत से तहसीलदार रामसिंह के नाम पर 150000/–रूपये की रिश्वत मांग की। दौराने मांग सत्यापन कार्यवाही प्रथम किश्त के रूप में 100000/–रूपये की मांग तहसीलदार श्री रामसिंह के लिये की गयी। उक्त मोबाईल वार्ताओं एवं रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता में तहसीलदार पीसांगन श्री रामसिंह व प्राईवेट व्यक्ति श्री मदनसिंह की आपस में संलिप्तता पाई गई है।

अतः उपरोक्त समस्त कार्यवाही, परिवादी के प्रार्थना पत्र,रिश्वत राशि मांग सत्यपान तथ्यों एवं परिस्थितियों से आरोपीगण 1–श्री मदनसिंह पुत्र श्री बिरदीचंद जाति जाट निवासी मैन आबादी चिमनपुरा जयपुर पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर हाल संचालक मिशन कोंचिग संस्था बेगस रोड बगरू(प्राईवेट व्यक्ति) 2–श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री शायरमल गुर्जर जाति गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध अपराध धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 धारा 7A व 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जानें से उपरोक्त के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

(नरेन्द्र सिंह)
तत्कालीन पुलिस निरीक्षक
हाल उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एस.यू. जयपुर

उप अधीक्षक पुलिस
(S.U.-Ist) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मदन सिंह पुत्र बिरदी चन्द जाति जाट निवासी मैन आबादी चिमनपुरा जयपुर पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर हाल संचालक मिशन कोंचिग संस्थान बेगस रोड बगरू (प्राईवेट व्यक्ति) 2. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र शायरमल गुर्जर जाति गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 189/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भवदीय,

14/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक : 2333-36 दिनांक 14.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर
3. उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-। जयपुर।

14/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।